(54)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमिताभ कौशिक
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 234/2013

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर तहत उपवन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर
प्रार्थी

बनाम

1. खैरातीराम पुत्र श्योबक्स
2. मांगीराम पुत्र श्योबक्स समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती।

निर्णय

दिनांक 11/04/2017

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर.एक्ट के तहत इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी, विराटनगर की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गांव नवरंगपुरा तहसील विराटनगर स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 84/0.89 हैक्टर वर्तमान में स्थित नवीन ग्राम भैरूपुरा में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 7/100 (रा0के06) दिनांक 10/05/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 2 की उप–धारा (1) प्रदत शक्तियों के प्रयोग में आरक्षित वन खण्ड के रूप में घोषित की गयी थी। वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उप–धारा (10) के अन्तर्गत सरकारी वन के सीमांबन्धी के भीतर स्थित भूमि में किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते। यह भूमि जमवारामगढ़ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त वर्णित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के रकबे में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के बुजुर्ग मरहूम श्योबक्स पुत्र छीतर रैगर, निवासी बलेसर के हक में नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 24/09/1971 के द्वारा गैर खातेदारी स्वीकार कर दी तथा तत्पश्चात खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी। इसलिए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई खातेदारी भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आराजीयात की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त की जाकर प्रार्थी वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।
2. प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की सुनवाई के लिए नोटिस जारी करवाये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अभिकथन किया कि आराजी विवादास्पद अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम मुताबिक पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 19/2/1965 को अलाटमेन्ट की जाकर कब्जा सम्भलवाया गया था, जिस पर आंवटी व उसके स्थानापन्न वारिसान निरन्तर काबिज काश्त हैं तथा उनके व पूर्वजों के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में विधि प्रक्रिया के अनुरूप किया गया। बेहद अफसोस व खेदजनक स्थिति है कि अब वन विभाग द्वारा करीब 50 वर्ष से अधिक समय की लम्बी अवधि के अवसान के बाद कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध तथा कानून का दूरूपयोग करने के आशय से यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण व उसके अलावा दलित जाति के सैकड़ों अन्य व्यक्तियों के हक व अधिकारों का हनन होगा। आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

विवादास्पद किसी भी प्रकार जमवारामगढ़ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित नहीं हैं एवं ना ही इस सम्बन्ध में कोई पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्सकर्ता द्वारा वास्तव में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02/8/2004 की आड़ लेकर उच्च राजनैतिक पहुंच एवं रसूखदार लोगों द्वारा वास्तविक बहाव क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से बनाये गये बड़े बड़े फार्म हाउसेज, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अवैध अतिक्रमणों को हटाने के बजाये खाना पूर्ति करने के लिहाज से गरीब अनुसूचित जाति के निम्न वर्ग का जीवन यापन कर रहे लघु कृषक लोगों के विरूद्ध गलत तरीके से की जा रही उक्त कार्यवाही न्यायिक एवं नैतिक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, विराटनगर) द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सही होना स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 1/9/2016 को इंगित करते हुए आराजी विवादास्पद को वन भूमि सिद्ध होना स्वीकार की।

5. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं उनके विद्वान अधिवक्ता नियत दिनांक 11/4/2017 को हाजिर अदालत नहीं आये इस पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस समाअत की गई।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि अलाटमेन्ट सम्बन्धी रिकॉर्ड पेश करने के लिए उनकी ओर से तहसील कार्यालय में अलाटमेन्ट सम्बन्धी नकलें लेने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश करने पर जाहिर किया कि रिकॉर्ड जीर्ण–शीर्ष (अलाटमेन्ट रजिस्टर फटा) होने के कारण नकलें नहीं मिलने की सूचना दी है, जिसकी प्रतियां मैने पेश की है। उनकी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत को इंगित करते हुए निवेदन किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 इस प्रकार उल्लेखित करती है कि ''वनों के आरक्षण या वन भूमि के बनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन किसी राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी कोई राज सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा।'' वन भूमि में इस प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित वन सुरक्षित वन या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में प्रविष्ट किया गया क्षेत्र सम्मलित है, जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधि० सूचित वन भूमि भी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की परिधि में आती है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वन खण्ड के रूप में आरक्षित व सुरक्षित रखी गई भूमि या गैर वन क्षेत्र के उपयोग में लाये जाने के लिए सभी प्रावधानों व मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार की अग्रिम सहमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में वन भूमि को गैर वन भूमि के उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इस प्रकार से यह प्रावधान भी वन भूमि को गैर वन भूमि के प्रयोग में लाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है, इससे अन्य को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इसके अलावा जब एक बार राज्य सरकार द्वारा भूमि को वन खण्ड के रूप में आरक्षित कर दिया गया तो अब उसको गैर वन भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता एवं ना ही ऐसी भूमि किसी को आवंटन योग्य है एवं ना ही उक्त भूमि की किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत इसकी बाध्यता है। यदि अप्रार्थीगण/उनके पूर्वज को उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 में से कोई भूमि आवंटित की गई है तो वह भी गलत है। क्योंकि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजीयात दिनांक 10/05/1961 के द्वारा वनखण्ड के रूप में रिजर्व की जा चुकी है, इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 16 में उल्लेखित भूमिका इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28 के अधीन गठित ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमिया तथा भूमि आवंटन के किन्ही विशेष नियमों के अधीन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां भी नियम 4 के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। उक्त प्रश्नगत भूमि वन खण्ड की भूमि के साथ अवस्थित है तथा वनखण्ड के रूप में ही उपयोग में लाई जा रही है। उक्त आराजीयात पर काश्त नहीं हो रही है तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। अतः रेफरेन्स मन्जूर फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

(56)

अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2012(1) पेज 191ए, 1997 एस.सी. पेज 1228, आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1), आर.जे.पेज 307, राजस्थान वन अधिनियम की धारा 3 व धारा 29 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (10) की ओर हमारा ध्यान आकृर्षित किया।

7. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, विराटनगर) ने भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि वन क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित की जाने की विज्ञप्ति दिनांक 10/05/1961 का आदेश सहवन से कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की वजह से उक्त आराजीयात अप्रार्थी व अन्य को अलाट कर दी गयी तथा कालान्तर में उक्त अलाटमेन्ट आदेश की पालना में खातेदारी प्रदान कर दी गयी। मौके पर उक्त भूमि में कोई काश्त नहीं की जाना तथा जंगली पेड़ उगे हुए होने से उक्त भूमि वन भूमि होना प्रकट होती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

8. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का भलि-भांति अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीधा 7 बिस्वा भूमि वाके मौजा नोरंगपुरा हाल नवसृजित गांव भैरूपुरा तहसील विराटनगर राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ07(100)आर0के0 61 दिनांक 10/5/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1939 की धारा 20 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 1/7/1961 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन क्षेत्र घोषित की गई थी। परन्तु तत्समय वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारी उक्त आदेश के प्रति क्षीण मात्र भी सजग नहीं रहे, बल्कि उनकी अकर्मण्यता एवं उदासीनता से वन विभाग के लिए आरक्षित की गई उक्त भूमि के आदेश तहसीलदार, विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत करके ना तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल करवाया गया तथा नां ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इस कारण उक्त आराजीयात की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर सिवायचक दर्ज रहने पर उक्त आराजीयात में से 4 बीधा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति मरहूम श्योबक्स पुत्र छीतर जाति रैगर के नाम अलाटमेन्ट कर दी ओर पटवारी हल्का ने अलाटी के नाम गैर खातेदारी का दिनांक 04/06/1970 को नामान्तरकरण संख्या 252 दर्ज कर करीब 15 माह 20 दिन पश्चात् अलाटी का मौके पर कब्जा होना सुनिश्चित कराते हुए सक्षम न्यायालय तहसीलदार, विराटनगर के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नवरंगपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर अवैध रूप से दिनांक 24/9/1971 को स्वीकार करवा दिया गया। जबकि भूमि आवंटन या किसी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण को तैय करने की अधिकारिता तहसीलदार में निहित है। यानि यदि पंचायत क्षेत्राधिकार का नामान्तरकरण तहसीलदार स्वतः तैय करता है तो तहसीलदार का आदेश अवैध होगा (1977 आर.आर.डी. 775) इसी प्रकार यदि पंचायत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 16 से सम्बन्धित नामान्तरकरण की कार्यवाही करती है तो वह कार्यवाही अवैध होगी। (1969 आर.आर.डी. 86, 1972 आर.आर.डी. 334, 1974 आर.आर.डी. 628 व 1976 आर.आर.डी. 65) इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहीन होने से शुरू से ही अवैध होने के बावजूद भी राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए बिना कोई जांच पड़ताल किये अलाटी व उसके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी एवं खातेदारी दर्ज करदी ओर वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक की वन भूमि के संरक्षण के लिए विधायिका द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसरण में भी तत्परता से त्वरित कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अब उक्त रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र दिनांक 06/03/2013 को लगभग 48 वर्ष पश्चात् न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। यद्यपि विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त आराजीयात के जमवारामगढ़ बान्ध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड व शाहदत भी पेश नहीं की गई हैं तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा भू-आवंटन आदेश की किन किन शर्तो की पालना नहीं की गई है। दूसरी ओर आराजी विवादास्पद भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्यों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाकर इसकी गैर खातेदारी एवं तत्पश्चात् खातेदारी भी उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 47 वर्ष पूर्व सन् 1971 में ही दर्ज की जा चुकी है, जो बदस्तूर आज भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है ओर अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

(57)

अहस्तान्तरणीय है। तथापि उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थी व उसके पूर्वजों के नाम आवंटित होने तथा उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज होने से पूर्व ही सन् 1961 में ही वन खण्ड के लिए आरक्षित की जा चुकी थी, भले ही उक्त आदेश की क्रियान्विति की जाने में विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती जाना ही रही हो, वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों के आवंटन/नियमन एवं किसी दीगर व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान की जाने की बाध्यता है। मौके की रिपोर्ट से भी उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाने तथा इसमें जंगली पेड़ उगे होने से वन खण्ड की भूमि होने की ताईद की गई है। चूंकि तहसीलदार, विराटनगर द्वारा उक्त आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड जीर्ण–शीर्ण होने से अलाटमेन्ट आदेश की नकलें प्रदान की जाने में असमर्थता ब्यक्त की है। किन्तु नामान्तरण एवं राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम भू–आवंटन आदेश के तहत खातेदारी दर्ज होना प्रकट होती है, जो निरस्त की जाने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के मिन नम्बर से बरामद हुए हाल आराजी खसरा नम्बर 84/0.89 हैक्टर वाके मौजा नोरंगपुरा से नवसृजित ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर के राजस्व रिकॉर्ड में अवैध रूप से दर्ज की गई खातेदारी गैर कानूनी एवं विधि सम्मत नहीं होने से कारण निरस्त की जाकर वनखण्ड क्षेत्र, वन विभाग, राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी, विराटनगर को आदेश प्रदान किये जाते हैं कि वे समय समय पर राजस्व रिकॉर्ड में हुए समस्त परिवर्तनों एवं आदेश की तीन–तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ नियमनुसार रेफरेन्स तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर इस न्यायालय को 15 दिवस में पालना से अवगत करावें।

10. निर्णय आज दिनांक 11/04/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट मुकाम विराटनगर में सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिताभ कौशिक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner